संख्या-180 /2025/3089/26-3-2025-1397413

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :05 दिसम्बर 2025

विषय - **चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3945-45/स0क0/विकास/शादी अनुदान-बजट/80/3/2025-26 दिनांक 10-11-2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 1250.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-3750.00 लाख (रू0 सैतीस करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-92/2025/988/26-3-2025-1397413, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-06 सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-1250.00 लाख (रू0 बारह करोड़ पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-06 सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल प्राविधानित धनराशि रू0-5000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0-3750.00 लाख (रू0 सैतीस करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत् शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न

किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025, में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) उपयोगिता प्रमाण पत्र न देने वाले जिला समाज कल्याण अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 / दस-2025-231/2025 दिनाँक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव

Digitally signed by
Chandra Kumar Mishr
Date: 03-12-2025
16:20:55

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

3489/28-372

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–3

पत्रांक 3945/स0क0/विकास/शादी अनुदान–बजट/80/3/2025–26 लखनऊ : दिनांक : 10 नवम्बर, 2025

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–92/2025/988/26–3–2025–1397413 दिनांक 09–04–2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–80 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–06 सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में कुल प्राविधानित धनराशि **रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र)** के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **धनराशि रू0 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेश के समस्त जनपदों को आवंटित की जा चुकी है।

योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–80 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–06 सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के मानक मद 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

लेखाशीर्षक–223502200060020 (सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता) (रूपया लाख में)

क्र0सं0	अनुदान संख्या	मानक मद	वर्ष 2025–26 में प्राविधानित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	उपभोग की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	80	06–सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5000.00	1250.00	1250.00	3750.00
		कुल योग	**5000.00**	**1250.00**	**1250.00**	**3750.00**

अतः आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन के वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/2025/बी–1–352/दस–2025–231/2025 दिनांक 27–03–2025 में दी गयी व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–80 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–200–अन्य कार्यक्रम–06 सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के मानक मद 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) में कुल प्राविधानित धनराशि **रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र)** के सापेक्ष उपरोक्त अंकित तालिका के कॉलम संख्या–7 में उल्लिखित कुल अवशेष वांछित **धनराशि रू0 3750.00 लाख (रूपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक।

14/11/2025

Shadi Anu

5-9 समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (₹ लाख में)

वास्तविक आँकड़े 2023-2024	आय-व्ययक अनुमान 2024-2025	पुनरीक्षित अनुमान 2024-2025	लेखा शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान 2025-2026
			2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ,*02*-समाज कल्याण ,*105*-नशाबंदी ,*04*-मंण्डलीय कार्यालय	
0.67	1.00	1.00	47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00
3.39	5.50	5.50	49 - चिकित्सा व्यय	6.00
--	0.20	0.20	51 - वर्दी व्यय	0.20
11.43	28.43	28.43	55 - मकान किराया भत्ता	--
274.28	569.52	463.39	योग : 04	568.65
401.91	756.11	615.19	योग : 105	2080.68
			107 - स्वेच्छा संगठनों को सहायता	
			03- मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान	
14.90	15.00	13.50	20 - सहायता अनुदान - सामान्य *(गैर वेतन)*	15.00
1331.54	1789.25	1485.08	31 - सहायता अनुदान - सामान्य *(वेतन)*	1789.00
1346.44	1804.25	1498.58	योग : 03	1804.00
1346.44	1804.25	1498.58	योग : 107	1804.00
			200 - अन्य कार्यक्रम	
			03- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम् (कक्षा 9 से 10 तक) छात्रो को छात्रवृत्ति	
4069.32	5000.00	5000.00	21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	5000.00
			04- उभयलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) व्यक्तियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	
33.81	170.00	153.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य *(गैर वेतन)*	170.00
			06- सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	
--	--	900.00	20 - सहायता अनुदान - सामान्य *(गैर वेतन)*	5000.00
			07- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य)के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति	
75972.57	85000.00	85000.00	21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	85000.00
			09- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओ का कम्प्यूटरीकरण	
19.96	20.00	20.00	02 - मजदूरी	20.00
15.38	16.00	16.00	12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.00
4.43	6.00	6.00	13 - टेलीफोन पर व्यय	6.00
42.47	42.50	34.00	42 - अन्य व्यय	42.50